



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 22.10.2025

**थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र ओमा निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

अभियुक्त मोनू का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 73/21 धारा 188 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 330/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनांक 22-10-2025

थाना बालैनी पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमन्चे के साथ फोटो/वीडियो वायरल के आरोपी को मय तमन्चे के किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक युवक का तमन्चे के साथ फोटो/वीडियो वायरल हुआ था । जिसका थाना बालैनी पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं युवक को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमन्चे के साथ वायरल हुये फोटो/वीडियो में आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से वायरल फोटो में नजर आ रहा अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 142/25 धारा 3/25 आर्म्स-एक्ट पंजीकृत कर

वाधक कार्यवाही का जा रहा है।



अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता –

खुशहाल पुत्र अशोक निवासी ग्राम नवादा थाना बालैनी जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी की विवरण—

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री सोनू सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3- का0 740 अखिलेश थाना बालैनी जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 22.10.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 346/25 धारा 305ए बीएनएस से सम्बन्धित चोरी करने का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 22.10.2025 को वादी श्री सोनू पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास करते हुए अभियुक्त देव पुत्र राकेश निवासी रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत को जनता की मदद से पकड़कर थाने लाया गया । थाना बिनौली पुलिस द्वारा अभियुक्त देव को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 346/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- वादी ने बताया कि दिनांक 20/10/2025 को उसके घर में रखे 20,000 रुपये गुम हो गये थे लेकिन जो काफी खोजने पर भी नहीं मिले थे। आज अभियुक्त देव गिरफ्तार हुआ है जिससे 20,000 रुपयों के बारे में पूछा गया तो उसने दिनांक 20-10-2025 को 20,000 रुपये चोरी करना बताया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देव पुत्र राकेश निवासी रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 501 प्रवीन भाटी थाना बिनौली
- 2- का0 1119 वीरेश कुमार थाना बिनौली ।
- 2-है0का0 470 गोपाल सिंह थाना बिनौली ।